प्रारुप–2

भाग–1 (प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :– जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में आराकोट कलीच थुनारा डामटी मोटर मार्ग का निर्माण।

1-

क) अपेक्षित वन भूमि के लिये प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में आराकोट कलीच थुनारा डामटी मोटर मार्ग का निर्माण हेतु सिविल सोयम 0.8775है0 आरक्षित वन भूमि 4.3425है0, मक डिस्पोजल हेतु 0.4125 है0 सम्पूर्ण योग 5.6325 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव।
ख) 1:50000 स्केल मैप पर वनभूमि और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप	प्रस्ताव में सलंग्न है।
ग) परियोजना की लागत	रू0 221.80 लाख
घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	इस परियोजना हेतु अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने के कारण इस योजना को वन क्षेत्र में स्थापित किया गया है।
ड) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिये)	प्रस्ताव में संलग्न है।
च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	लगभग 9568 रोजगार दिवस उपलब्ध होंगे।
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण :	आरक्षित वनभूमि : 4.3425है0, सिविल सोयम भूमि – 0.8775है0 मक डिस्पोजल हेतु 0.4125 है0 योग – 5.6325 है0
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण यदि कोई है	शून्य
क) परिवारों की संख्या	–
ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	–
ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिये)	–
4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है ? (हॉ/नहीं)	आवश्यकता नहीं है।
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की बचनबद्धता (बचनबद्धता संलग्न की जाय)	प्रतिपूरक वनीकरण तथा उसके अनुरक्षण अथवा दण्ड स्वरूप लागत के साथ राज्य सरकार/वन विभाग द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार संरक्षण लागत आदि क्षेत्र में पुनः वनीकरण हेतु नियमानुसार राज्य सरकार/वन विभाग द्वारा जो भी मांग की जायेगी लोक निर्माण विभाग देने हेतु वचनबद्ध है। प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा	भारत सरकार की गाइड लाइन्स् के अनुसार सभी अपेक्षित प्रमाण–पत्र सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षरोपरान्त प्रस्ताव में संलग्न है।

दिनांक.....

स्थान :– पुरोला

(सुरेन्द्र शर्मा)	(डी0एस0 रावत)	(ए0एस0 पंवार)
कनिष्ठ अभियंता	सहायक अभियंता	अधिशासी अभियंता
नि0ख0, लो0नि0वि0, पुरोला	नि0ख0, लो0नि0वि0, पुरोला	नि0ख0, लो0नि0वि0, पुरोला

प्रारुप–3

भाग–2 (संबधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

परियोजना का नाम :– जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में आराकोट कलीच थुनारा डामटी मोटर मार्ग का निर्माण।

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति आराकोट कलीच थुनारा डामटी तक मोटर मार्ग

I. राज्य/संघराज्यक्षेत्र – उत्तराखण्ड

II. जिला – उत्तरकाशी

III. जिला वन प्रभाग – टौन्स वन प्रभाग

IV. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र 5.6325 है0

17. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थितिः आरक्षित/सिविल भूमि

18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौराः

I. वन का प्रकार – उपोस्ण सक्रमण ~~चौडी~~ पत्ती प्रजाति वन चीड, कैल, देवदार

II. वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व 0.6

III. प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना – सूची संलनग्न।

IV. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा– प्रस्तावित वन भूमि का उपयोग मोटर मार्ग निर्माण में किया जायेगा एवं वृक्षों के कटान के ऐवज में क्षतिपूरक वनीकरण किया जायेगा।

19. भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी – भूमि की प्रकृति पहाडी ढलान, सममतल एवं सामान्य है।

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :– वनभूमि के अन्तर्गत।

21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :

I. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा : . . . .

II. क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)– नही।

III. क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) – नही।

IV. क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) – नही।

V. क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौर– नही।

22 क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें)– नही।

23. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :

I. क्या भाग– 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। हॉ

II. यदि नही तो वन भूमि के सिफारिष किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।

24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :

I. क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है– नहीं किया गया है।

II. यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरूद्ध की गई कार्यवाही– नही।

III. क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं) – नही।

25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :– –

I. क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति। सोयम भूमि।

II. अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे व्यौरे दें– डामटी सिविल।

III. क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्षित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न है– वॉछित टोपोशीट एवं गूगल मैप संलग्न।

I. रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं – प्रभागीय वनाधिकारी टौन्स वन प्रभाग पुरोला के अनुरूप संलग्न।

II. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय :– संलग्न पृष्ठ सं 07 से 10

III. क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण–पत्र संलग्न हैं –

26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाष में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है –

27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिषों– जनहित में मोटर मार्ग निर्माण हेतु संस्तुति की जाती है।

स्थानः हस्ताक्षर नाम शासकीय मुद्रातारीखः

वन क्षेत्राधिकारी
कोटीगाड़ रेंज, काष्टा

उप वनाधिकारी
टौन्स वन प्रभाग,
पुरोला

प्रारुप–4

भाग–3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

28. क्या स्थल, जहां अंतर्वलित वन भूमि अवस्थित है उसका वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है (हां/नहीं)। यदि हां, तो निरीक्षण टिप्पणी के रूप में किए गए निरीक्षण और संप्रेषण की तारीख संलग्न की जाय।

29. क्या वन संरक्षक भाग 2 में दी गई जानकारी और उप वन संरक्षक की सिफारिषों से सहमत हैं।

30. विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों

स्थानः तारीखः हस्ताक्षर नाम

शासकीय मुद्रा

"प्रारूप ग"

वन भूमि में खनिजों के सर्वेक्षण के राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों को धारा 2 के अधीन पूर्व मंजूरी लेने वाला प्रारूप।

खनन /चुगान हेतु आवेदन
भाग–1
(प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भरा जाए)

1. परियोजना के ब्यौरे :

I. प्रयोक्ता अभिकरण का नाम, पता और संपर्क ब्यौरे

II. प्रयोक्ता अभिकरण की विधिक प्रास्थिति

III. आवेदन करने वाले व्यक्ति नाम, पदनाम और पता

IV. प्रयोक्ता अभिकरण के निमित आवेदन करने के लिये इस आवेदन को करने वाले व्यक्ति की सक्षमता या प्राधिकरण के समर्थन में दस्तावेज (हां/नहीं)

V. खोजी जाने वाली खनिज वस्तु

VI. दोनों वन और गैर वन क्षेत्र में किये जाने वाले प्रस्तावित क्रियाकलापों का संक्षिप्त ब्यौरा

VII. प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिये संबद्ध यथास्थिति मंत्रालय या विभाग द्वारा दिये जाने वाले अनुमोदन के ब्यौरे

VIII. पूर्वेक्षण पट्टे में सम्मिलित सम्मिलित वन और गैर वन भूमि के ब्यौरे

IX. पूर्वेक्षण के लिए अपेक्षित वन भूमि का कुल क्षेत्र :

(क) भूमि उपयोग स्थायी परिवर्तन के अनुभव के लिए संभाव्य वन भूमि का क्षेत्र

(ख) वन भूमि में स्थायी परिवर्तन के अनुभव के लिए संभाव्य वन भूमि का क्षेत्र

X. कुल अवधि जिसके लिए वन भूमि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित किए जाने के लिए प्रस्तावित है:

XI. परियोजना की प्राक्कलित लागत :

XII. ऐसी वन भूमि के उपयोग के लिए चालू प्रास्थिति के साथ राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में पूर्व में यदि कोई है उपयोजित वन भूमि का ब्यौरा :

XIII. प्रत्येक मामले में पूर्वेक्षण की चालू प्रास्थिति के साथ वन भूमि में खनिजों के पूर्वेक्षण के लिए प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में पूर्व में दी गई अनुमति के ब्यौरे :

2. संलग्न मानचित्रों का ब्यौरा

I. पूर्वेक्षण ब्लाक की सीमा दर्शित करने वाले 1:50000 स्केल के मूल में स्थल परतों का भारतीय सर्वेक्षण ; पूर्वेक्षण ब्लाक के भीतर अवस्थित वन भूमि के प्रत्येक टुकड़े की सीमा ; प्रत्येक नमूने प्लाट की अवस्थितियाँ छेदन उपस्करों के परिवहन के लिए उपयोजित होने वाले वेध छिद्र स्थल सड़कों या पथमार्ग (साथ ही नए पथ के रास्ते को पृथक रूप से दिखाया न जाए) लगने वाले वनों की सीमाएं और पूर्वेक्षण आदि में पहचान की गई भूमि की सीमा से (10 किमी0) की दूरी पर अवस्थित संरक्षित क्षेत्र

टिप्पण 1 यदि 1:50000 स्केल में भारत के सर्वेक्षण स्थलपरत उपलब्ध नहीं हो तो विशेषतः अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के समीप अवस्थिति क्षेत्र के मामले और भारत स्थलपरत के सर्वेक्षण के स्थान पर अन्य रणनीतिक अवस्थितियां सार्वजनिक कार्य क्षेत्र में उपलब्ध अन्य मानचित्रों का भी उपयोग किया जाए।

टिप्पण 2 तकनीकी कारणों से पूर्वेक्षण क्रियाकलाप करते समय, प्रयोक्ता अभिकरण 300 मीटर तक वेध–छिद्र नमूने प्लाट खंड या पथ आदि की अवस्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं परन्तु उपयोग किए जाने वाले प्रस्तावित वन भूमि के क्षेत्र या काटे जाने वाले प्रस्तावित वृक्षों की संख्या प्रस्ताव में वही दी गई संख्या से अधिक नहीं होगी।

3. (i) वन भूमि में पूर्वेक्षण के लिए न्यायोचितता :
(ii) जांच किए गए विकल्पों के ब्यौरे :
(iii) गैर आक्रामक पूर्वेक्षण क्रिया कलाप के ब्यौरे यदि कोई हो, विस्तारित प्रस्ताव में उपदर्शित वन भूमि में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया गया हो

4. अनुसूचित क्षेत्रों में पूर्वेक्षण के लिए पहचान की गई वन भूमि अवस्थित है (हां/नहीं)

5. वन भूमि में किए जाने वाले प्रस्तावित क्रिया कलापों के ब्यौरे :

(i) सतह नमूने
(क) ग्राह प्रतिचयन
(ख) चिप प्रतिचयन
(ग) खांचा प्रतिचयन
(घ) चैनल प्रतिचयन
(ड.) प्रपुंज प्रतिचयन
(च) पंक्ति अंतरालन नमूने सहित भू रसायन ग्रिड प्रतिचयन

(ii) गड्डा या खाई बनाना
(क) गड्डों या खाइयों की संख्या और व्यास
(ख) उत्खनन की कुल मात्रा
(ग) गड्डों या खाइयों के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि का क्षेत्र

(iii) वेधन
(क) वेध छिद्रों या कुओं की संख्या और व्यास
(ख) वेध छिद्र या कुओं का अंतरालन
(ग) प्रत्येक विधछिद्र या कुओं पर अस्थयी रूप से बाधित किए जाने वाले क्षेत्र
(घ) प्रत्येक वेधछिद्र या कुओं पर स्थायी रूप से बाधित किए जाने वाले क्षेत्र, यदि कोई है
(ड.) वेध छिद्रों या कुओं का मापन
(च) वेधन कोर नमूनों की संख्या
(छ) वेधन कोर नमूनों की संख्या

(iv) सड़कों या पथों का संनिर्माण
(क) निर्माण किए जाने वाली सड़कों या पथों की लंबाई और चौड़ाई
(ख) सड़कों या पथों के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र

(v) कोई अन्य क्रियाकलाप (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

6. निम्नलिखित के कारण भूमि उपयोग में अस्थायी परिवर्तन के अनुभव के लिए संभाव्य वन भूमि का क्षेत्र
(i) सतह प्रतिचयन :
(ii) गड्डा या खाई बनानाः
(iii) वेधन :
(iv) सड़कों या पथों का संनिर्माण :
(v) कोई अन्य क्रियाकलाप (कृपया विनिर्दिष्ट करें) :
कुल :

7. निम्नलिखित के लिए भूमि उपयोग में स्थायी परिवर्तन के अनुभव के लिए संभाव्य वन क्षेत्र
(i) सतह प्रतिचयन :
(ii) गड्डा या खाई बनाना :
(iii) वेधन :
(iv) सड़कों या पथों का संनिर्माण :
(v) कोई अन्य क्रियाकलाप (कृपया विनिर्दिष्ट करें) :
कुल :

8. पूर्वेक्षण के लिए विनियोजित होने के लिए मशीनरी या उपस्करों के ब्यौरे–

क्रम सं0	उपस्कर या मशीनरी का नाम	कर्षण का ढंग	आकार (एल X बी X एच)	प्राक्कलित विनियोजन (मषीनी घंटे)	अधिकतम शोर स्तर (डेसिबल)

9. वन भूमि में उपस्कर या मशीनों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने हेतु प्रस्तावित विद्यमान पथों या सड़कों का ब्यौरा।

10. पूर्वेक्षण के लिए विनियोजित होने के लिए प्रस्तावित व्यक्तियों की वन भूमि में रूकने की लगभग संख्या और लगभग अवधि।

11. पूर्वेक्षण के दौरान संगृहीत किए जाने के लिए प्रस्तावित अयस्क और अन्य नमूनों की प्राक्कलित मात्रा का सारांष (जलीय कार्बन सैक्टर के लिए लागू नहीं)

12. खनिज आरक्षण निर्धारण के लिए प्राक्कलित शुद्धता और आष्वस्त स्तरः

13. यदि वेध किए जाने के लिए प्रस्तावित वेधन छिद्रों की संख्या निम्नलिखित के द्वारा कम की जाती है तो प्राक्कलित शुद्धता और आष्वस्त स्तरः

		शुद्धता	स्तर (:)
(i)	(10%)		
(ii)	(20%)		
(iii)	(30%)		
(iv)	(40%)		
(v)	(50%)		

14. यदि पूर्वेक्षण या अतिरिक्त वेध छिद्रों के वेधन के लिए मंजूर की गई अनुज्ञा की अवधि के विस्तार हेतु प्रस्ताव है, कृपया निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी दें :–

(i) पूर्व में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन दिए गए अनुमोदन के ब्यौरे

क्रम सं0	दिए गए अनुमोदन की संख्या और तारीख	पूर्वेक्षण (एच ए) के लिए अनुज्ञात वन भूमि का क्षेत्र	अनुमोदन की विधिमान्य अवधि	
			से	तक

(ii) पूर्व में दिए गए अनुमोदन में अनुबद्ध शर्तो के अनुपालन की प्रास्थिति पर रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)
(iii) उल्लंधन (नों), यदि कोई, किया है, के ब्यौरे।
(iv) पूर्वक्षण के लिए दी गई अनुज्ञा के विस्तार के लिए न्यायोचितता।
(v) अभी तक किए गए पूर्वेक्षण कियाकलापों और संगृहीत नमूनों के ब्यौरे।

15. संलग्न दस्तावेजों के ब्यौरे–

तारीखः
स्थानः

हस्ताक्षर
(स्पष्ट अक्षरों में नाम)
पदनाम
पता (प्रयोक्ता अभिकरण का)

प्रस्ताव की राज्य क्रमांक सं0.....
(प्राप्ति की तारीख सहित नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाए)